

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 07, सोमवार, शाके 1944-अगस्त 29, 2022 Bhadra 07, Monday, Saka 1944- August 29, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2022

संख्या प.6(75)पिर/कर/मु./08/20693 :-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त् शिक्तयों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद् द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, की उप-धारा (8) के अन्तर्गत जारी अनुजापत्रों पर दिनांक 29.08.2022 से 10.09.2022 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6500/- रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव।

1695

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।